झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

आवश्यक सूचना

दिनांक – 26.09.2025

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या–3433, दिनांक–28.08.2025 में लिये गये निर्णय निम्नवत् हैं:–

(i) झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्त्ती नियमावली–2025 के नई नियमावली के तहत भर्त्ती प्रक्रिया के आयोजन हेतु झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2023 हेतु पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन संख्या–17/2023 को रद्द कर अधियाचना को वापस लिया जाता है। इसके पश्चात ही संयुक्त भर्त्ती नियमावली के तहत नई नियुक्ति प्रारम्भ की जायेगी।

(ii) जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2023 हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्ती परीक्षा में कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसके लिए झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया में अपने स्तर से इसका विकल्प दिया जायेगा।

(iii) भविष्य में होनेवाली प्रथम संयुक्त भर्त्ती परीक्षा में सभी कोटि के आवेदकों को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त छुट दी जायेगी, जिसके लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना की संदर्भ तिथि झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–17/2023 के तहत दी गयी संदर्भ तिथि अर्थात् 01.08.2019 होगा।

2. उपर्युक्त कंडिका के आलोक में झारखण्ड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा–2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–17/2023 को रद्द किया जाता है।

ह०/–
परीक्षा नियंत्रक।